

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2021 फोरलेन

उनवान

1. अनिल कुमार पिता बुद्धराज बापना (महाजन) निवासी ब्यावर जिला अजमेर (राज०)

—प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ए 8, UII के पीछे, सुभाष नगर, भीलवाड़ा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध
अवार्ड क्रमांक 107-110 दिनांक 06.06.2014

उपस्थित -

1. अधिवक्ता प्रार्थी- श्री राकेश जैन।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2-श्री विनोद कुमार शर्मा।

आदेश

दिनांक : 05.08.2024

1-

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी व उसके भाई सुनिल कुमार के खातेदार आधिपत्य की ग्राम पोटलां तहसील सहाड़ा में स्थित आराजी संख्या 475 रकबा 0.0465, 474 रकबा 0.0598, 473 रकबा 0.0866, 1097 रकबा 0.0331 है 0 भूमि राजसमन्द से भीलवाड़ा सेक्शन हेतु अवाप्त की गई। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा 1 के अधीन एक अधिसूचना दिनांक 28.09.2012 को जारी की जाना बताकर अधिनियम की धारा 3 जी(1) के अंतर्गत दिनांक 25.09.2013 को प्रकाशित कर दिनांक 17.10.2013 व दिनांक 18.10.2013 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। अधिसूचना की प्रार्थी को व्यक्तिगत तौर पर कोई तामील नहीं कराई गई तथा अवार्ड जारी होने तक भी प्रार्थी को सूचित नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी को बिना सुने ही दिनांक 06.06.2014 को अवार्ड जारी कर दिया जिसमें प्रार्थी का आधा हिस्सा निहित है। सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 28.09.2012 को जो डी.एल.सी. दरें थी उनके अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है जबकि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा पारित रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 को दिनांक 01.01.2014 से लागू किया गया है। चूंकि उक्त अधिनियम को नेशनल हाईवे पर लागू नहीं किया गया था किन्तु अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत



जिला कलक्टर
(आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

उक्त नेशनल अधिनियम के अलावा अन्य 13 एक्ट को रखा गया है तथा अधिनियम की धारा 105(3) के अनुसार केन्द्र सरकार को 1 वर्ष के भीतर अधिसूचना जारी कर उक्त अधिनियमों पर मुआवजा निर्धारण करने के लिए लागू करना था जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2014 को अधिसूचना जारी कर रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 धारा 105(5) में संशोधन कर नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 पर भी उक्त अधिनियम के प्रावधान मुआवजा निर्धारण करने के लिए दिनांक 01.01.2015 से लागू कर दिये हैं जिसके अनुसार सक्षम अधिकारी को अवार्ड पारित करने थे किन्तु सक्षम अधिकारी ने मनमाने तरीके से अवार्ड पारित किया है जो संशोधित किये जाने योग्य है।

2-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में आगे अंकित किया कि नियमों के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने की व्यवस्था है और मार्केट दर निर्धारित करने के लिए मात्र डीएलसी दर ही आधार नहीं हो सकती क्योंकि डीएलसी दर तो महज पंजीयन के लिए स्टाम्प राशि वसूल करने के प्रयोजन से न्यूनतम निर्धारित की हुई दरें होती है। वस्तुतः बाजार मूल्य कई गुना अधिक होता है। इस मामले में भी सक्षम अधिकारी द्वारा मात्र डीएलसी दर को मुआवजा निर्धारण हेतु आधार मान लिया, वह किसी प्रकार से उचित एवं व्यवहारिक नहीं होने से संशोधित होने योग्य है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.02.2016 के पत्र द्वारा दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार प्रार्थी के हिस्से अवार्ड की राशि दिनांक 31.12.2014 तक प्रार्थी के खाते में जमा नहीं करायी गयी है अपितु 28.01.2015 को केवल मात्र 950895 रुपये ही प्रार्थी के खाते में जमा कराये गये हैं। प्रार्थी रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 के अनुसार राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में अंकित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य राशियां एवं परिलाभ जो रिफ्लेक्टर एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बनती है, उसी अनुसार दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

3-

बाद जांच प्रकरण दिनांक 19.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र जारी किये गये व अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाब पेश किया गया।

4-

अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अवार्ड पारित होने के लगभग 7 वर्ष बाद देरी से दायर किया गया है जिसका कोई उचित कारण भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के तीसरे खण्ड के भाग-2 के अनुच्छेद 137 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब उक्त अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र कोई परिसीमा काल उपबन्धित नहीं होता है तो वहाँ आवेदन करने का अधिकार हेतु परिसीमा काल 3 वर्ष है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 की तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के अन्तर्गत जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना व अवार्ड में वर्णित प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के निर्माण हेतु अवाप्त किया जाना स्वीकार है। प्रार्थी को व्यक्तिगत तामील कराये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही एक लार्ज स्केल पर की जाती है, जिसमें अनगिनत खातेदार होते हैं तथा प्रत्येक खातेदार को व्यक्तिगत तामील कराये जाने के कोई प्रावधान अधिनियम 1956 में नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-758 के निर्माण के



जिला कलेक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भिलवाड़ा

लिए ग्राम पोटलां तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में से भूमि अवाप्त करने हेतु अधिनियम 1956 की धारा 3ए तथा 3डी के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित कर दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी उनका प्रकाशन कराया जाकर आपत्तिया आमंत्रित की गई। जिन व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी की उपधारा 2 के अन्तर्गत निस्तारण कर दिया गया, परन्तु उक्त निर्धारित समयावधि में प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। तदोपरान्त अप्रार्थी संख्या-1 सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण करने के लिए उपपंजीयक से धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 28.09.2012 को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित डी.एल.सी दर/बाजार मूल्य को प्राप्त कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी/हितधारियों के हित में मुआवजा राशि 19,01,790/- रुपये का अवार्ड दिनांक 06.06.2014 को पारित कर दिया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा गत वर्षों में हुए बेचान पत्रों को ध्यान में रखते हुए ही डी.एल.सी दर/बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में उपपंजीयक द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये बाजार मूल्य (डी. एल.सी.) को सक्षम प्राधिकारी को भेजा, जिसे ही सक्षम प्राधिकारी ने मुआवजे के निर्धारण के लिये प्रयुक्त किया है। जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती हैं। अपवाद स्वरूप कभी-कभी कोई भूखण्ड किसी व्यक्ति विशेष के लिये अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और वह व्यक्ति विशेष उस भूमि का डी. एल.सी. से अधिक मूल्य चुकाने हेतु सहमत भी हो सकता है, परन्तु वह मूल्य वास्तविक मूल्य नहीं होता है। यह कथन स्वीकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु की जाने वाली भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में मुआवजा निर्धारण करने के लिए अधिनियम 2013 को अधिनियम 1956 पर दिनांक 01.01.2015 से लागू कर दिया है, परन्तु यहा स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधिनियम 2013 के प्रावधान केवल ऐसे प्रकरणों पर ही लागू होंगे जिनमें भूमि अवाप्ति के अवार्ड दिनांक 31.12.2014 के पश्चात पारित किए गए हों, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि के सम्बंध में दिनांक 31.12.2014 से पूर्व दिनांक 06.06.2014 को ही अवार्ड जारी कर दिया गया था। अधिनियम 1956 की धारा 3एच(1) के अनुसार अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बंध में पारित अवार्ड दिनांक 06.06.2014 में वर्णित मुआवजा राशि का हितधारको को भुगतान किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या-1 के समक्ष जरिये आर.टी.जी.एस. दिनांक 15.07.2014 को जमा करा दिया गया था। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण पर अधिनियम 2013 के प्रावधान कतई लागू नहीं होते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा अधिनियम 2013 के तहत जो मुआवजे की मांग कि जा रही है वह अनुचित एवं अवैध होने के कारण देय नहीं है।

5-

जवाब में आगे अंकित किया कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3एच (1) के अनुसार अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बंध में पारित अवार्ड दिनांक 06.06.2014 में वर्णित मुआवजा राशि का हितधारको को भुगतान किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या-1 के समक्ष जरिये आर.टी.जी.एस. दिनांक 15.07.2014 को जमा करा दिया गया था। तदोपरान्त धारा 3एच (2) के अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवार्ड की राशि का यथाशीघ्र उसके हकदार व्यक्तियों को भुगतान किया जाना था। यदि अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31. 12.2014 से पूर्व उक्त अवार्ड की राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है तो इसके लिए अप्रार्थी संख्या-2 कतई जिम्मेदार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड की कुल मुआवजा राशि 19,10,790/- रुपये में से 1/2 के आधार पर प्रार्थी को अपने हिस्से की मुआवजा राशि 9,50,895/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12746/2017 गोपाराम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य रिट पिटिशनों का एक साथ निस्तारण करते हुए दिनांक 22.01.2018 को पारित निर्णय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 28.12.2017 की बिन्दू संख्या 4.6 (iii) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्पष्ट किया कि अवाप्तशुदा भूमि के सम्बंध में पारित अवार्ड की मुआवजा राशि को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष



जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाडा

जमा करा दिये जाने पर सम्बन्धित प्राधिकरण किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय की रोशनी में कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने S.L.P. (C) NOS. 9036-9038 OF 2016) इंदौर डवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहर लाल व अन्य दिनांक 06.03.2020 के निर्णय में संविधान पीठ ने कहा है कि अगर सरकार ने मुआवजे के लिए स्वीकृत राशि कोष में जमा करा रखी है, तो फिर भूमि मालिक की तरफ से वहां से पैसा नहीं उठाना सरकार की गलती नहीं मानी जाएगी। हस्तगत प्रकरण में अवार्ड दिनांक 06.06.2014 में वर्णित मुआवजा राशि को अप्रार्थी संख्या-1 के समक्ष दिनांक 15.07.2014 को जमा करा दिया गया था, जिसका भुगतान किये जाने हेतु हितधारको को सूचना पत्र भी जारी किया व हितधारको को दिनांक 29.10.2014 को तलब किया गया, परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जो कि अप्रार्थी संख्या-1 की सक्षम प्राधिकारी की लापरवाही है। पत्र दिनांक 03.02.2016 माननीय उच्चतम व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के विपरीत होने के कारण निष्प्रभावी हो चुके हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्य खारिज किया जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 06.06.2014 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

6-

अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 01.01.2015 से ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के स्थान पर RFCTLARR Act, 2013 लागू हो गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई प्रार्थी की भूमि का भुगतान हमें 01.01.2015 के बाद मिला है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को बाजार दर से मुआवजा राशि व अन्य राशियां एवं परिलाभ जो RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बनती है, उसी अनुसार दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

7-

अप्रार्थी संख्या 2 NHA के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अवार्ड दिनांक 06.06.2014 को जारी हो गया था जिसमें वर्णित मुआवजा राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को दिनांक 15.07.2014 को जमा करा दी गयी थी, इसलिए प्रार्थी RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि पाने का हकदार नहीं है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्य खारिज किया जावे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 06.06.2014 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान फरमावे।

8-

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस के बिन्दुओं तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड की राशि दिनांक 31.12.2014 तक प्रार्थी के खाते में जमा नहीं होने से, प्रार्थी उक्त अवार्ड को संशोधित करा RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के तहत नवीन अवार्ड पारित कराना चाहता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत अवार्ड में मुआवजा राशि की डी.एल.सी. दर से गणना किये जाने पर भी आपत्ति उठाई गई है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में इसी किस्म एवं ग्राम की अन्य भूमियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई है। धारा 26 में बाजार मूल्य के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना जारी होने



जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
मालवा

की दिनांक से पूर्व के तीन वर्षों में हुए विक्रय कीमतों की औसत को आधार माना गया है। जबकि प्रार्थी के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण दर हेतु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतिकर निर्धारण दर में संशोधन उचित हो। इस प्रकार प्रार्थी अपने कथन को सिद्ध कराने में असफल रहा है। सम्पूर्ण मुआवजा की कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 धारा 3ए(1) एवं 3डी(1) व धारा 26(ख) के प्रावधानों के तहत ही की जाकर प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित की गई है।

9-

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये मुख्य बिन्दु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा भुगतान सम्बन्धी है, इस संबंध में यह तथ्य सुस्पष्ट है कि प्रार्थी की सह खातेदारी की भूमि ग्राम पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 475, 474, 473, 1097 कुल किता 4 कुल रकबा 0.2260 हैक्टर भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 राजसमन्द से भीलवाड़ा सेक्शन निर्माण के लिए अवाप्त करते हुए सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के द्वारा धारा 3ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 28.09.2012 को जारी होने से इस दिवस को विधि मान्य अनुमोदित एवं पंजीयन बाजार दर से प्रतिकर की गणना की जाकर पत्रांक भूमिअवाप्ति/4लेन/2014/प्रतिकर निर्धा0/107-110 दिनांक 06.06.2014 को 19,01,790/- रूपये की राशि का अवार्ड जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नवीन नियमों तहत प्रतिकर में संशोधन का बिन्दु है। इस संबंध में उक्त अधिनियम 01.01.2014 को प्रभावी हो चुका था परन्तु उक्त अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पर लागू नहीं किया गया था, लेकिन अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूची के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अलावा अन्य 13 एक्टों को रखा गया एवं अधिनियम, 2013 की धारा 105(3) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2014 से उक्त अधिनियम में संशोधन कर मुआवजा निर्धारण करने के लिए दिनांक 01.01.2015 से उक्त अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पर भी लागू कर दिया गया।

10-

प्रश्नगत प्रकरण में अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड दिनांक 06.06.2014 को जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(3)राज-6/2011/7 जयपुर दिनांक 11.03.2014 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2014 से पूर्व अवार्ड जारी हो चुका तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में उक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने से उक्त दिनांक से पूर्व अवार्ड जारी किया गया हो तो ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नवीन अधिनियम 2013 के तहत नहीं होगी, परन्तु अधिनियम 2013 के प्रभावी होने अर्थात् 01.01.2015 के पश्चात् यदि अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तो ऐसे प्रकरणों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अवार्ड संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। अवार्ड की प्रतिकर की गणना के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(3)राज-6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार गणना हेतु स्थिति स्पष्ट की गई है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला



जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा के द्वारा अवार्ड संख्या 107-110 दिनांक 06.06.2014 को जारी किया है, जो संशोधन अधिनियम भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रभावी होने की दिनांक 01.01.2015 के पूर्व जारी होना सिद्ध होता है एवं उक्त अवार्ड की कुल प्रतिकर राशि 19,01,790/- रुपये में से प्रार्थी अनिल कुमार द्वारा अपने 1/2 हिस्से की राशि 9,50,895/- रुपये भी सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 01.01.2015 से पूर्व ही प्राप्त कर लिए गये थे जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध उनके स्वयं के शपथपत्र दिनांकित 13.10.2014 से सिद्ध होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार प्रार्थी अपने प्रार्थना को सिद्ध कराने में असफल रहा है जिससे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित अवार्ड संख्या 107-110 दिनांक 06.06.2014 विधिसम्मत होने से पुष्ट किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतएव-

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित अवार्ड संख्या 107-110 दिनांक 06.06.2014 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा को लौटाया जावे।



आदेश आज दिनांक 05-06-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(त्रमिच मेहता)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा
(आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा